

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./गै.व.प्र./2022/2364

दिनांक 07-2022
3.8.22

—: आदेश :-

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के पत्र क्रमांक: राजस्व बी/2022/1565 दिनांक 31.07.2022 द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या 32-ए में झागेश्वर से जगत तक सड़क चौड़ाईकरण में आ रही 6.7500 है. वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम मामादेव के आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 है. किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त में से रकबा 6.7500 है. भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु अभिशंषा के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा की अभिशंषानुसार राजस्व ग्राम मामादेव के आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 है. किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त में से रकबा 6.7500 है. भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/हस्तान्तरण (Set apart) की जाती है।

—SR—
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा।
3. तहसीलदार, गिर्वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश द्वारा आरक्षित की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के साथ-साथ नक्शे में आवश्यक तरमीम करें।
4. रक्षित पत्रावली।

—SR—
जिला कलक्टर,
उदयपुर